न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 50/2020 दायरा दिनांक : 07.09.2020

उनवान

नन्दलाल आत्मज उदयराम, आयु 60 वर्ष, जाति दर्जी, निवासी गणेशपुरा हाल मकान नम्बर 642, गणेश नगर, खडे गणेश जी के पास कोटा राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– बसन्ती बाई पुत्री उदयराम पत्नी बंशीलाल, जाति दर्जी, निवासी गणेशपुरा हाल भाटापाडा, रामपुरा, जिला कोटा

2– धापू बाई पुत्री उदयराम पत्नी पूरणमल, जाति दर्जी, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

3– श्यामू बाई पुत्री उदयराम पत्नी मदन लाल, जाति दर्जी, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

4– कला बाई पुत्री उदयराम उदयराम पत्नी नन्दकिशोर, जाति दर्जी, निवासी गणेशपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रामबाबू मालव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 87/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 मृतक उदयराम के वारिसान हैं । जिनकी सहखातेदारी की कृषि आराजी वाके ग्राम गणेशपुरा, तहसील पचपहाड में स्थिति होने से रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामील जारी किए जिस पर अपीलांट अन्य द्वारा उपस्थिति देने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्ते जवाब दावा हेतु तारीख पेशी नियत की गई लेकिन तारीख पेशी के पूर्व ही राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत प्रकरण को दिनांक 21.06.2017 को सुनवाई हेतु रखा गया जिसकी सूचना किसी भी प्रकार अपीलांट व अन्य को नहीं दी गई और ना ही अधिवक्तागण को सूचना देने बाबत पान्द किया गया और बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पूर्ति किए ही उक्त वाद को केम्प गणेशपुरा में सुनवाई हेतु रखकर बिना अपीलांट को सुने ही एकव जवाब दावा अथवा दस्तावेजी साक्ष्य लिये बिना ही रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में वाद वादी स्वीकार कर सभी सहखातेदारान को समान रूप से बंटवारा करने एवं खाता अलग कायम किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सर्वमान सिद्धांत एवं विधि तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में जवाबदावा प्रस्तुत करने का समय देने के पश्चात बिना जवाब लिये ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम अपीलांट व रेस्पोडेंट को विधि अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जवाबदावा, साक्ष्य एवं दस्तावेज रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यकता था ततपश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था । अपीलांट उक्त आराजी का एक मात्र मालिक व आधिपत्यधारी चला आ रहा है और उक्त आराजी रेस्पोडेंट के पुश्तैनी अधिकारों से संरक्षित नहीं हैं बल्कि वादी द्वारा उक्त आराजी की ऐवज में नियत राशि का भुगतान रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 को किया जा चुका है केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने मात्र से रेस्पोडेंट किसी भी रूप में खाते एवं हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2017 अपास्त किया जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.04.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.06.2017 को लोक अदालत में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.04.2017 को तारीख पेशी में प्रतिवादी अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु दिनांक 10.05.2017 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.05.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प गणेशपुरा पर दिनांक 21.06.2017 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21.06.2017 को निर्णय पारित कर दिया। वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 उपस्थित, शेष पक्षकारान अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में हमारे हस्ताक्षर किसने किये हमें पता नहीं ? अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित करने से पूर्व हमारी सहमति एवं राजीनामा भी नहीं लिया है । वादग्रस्त आराजी में हमारा कितना हिस्सा है, अधीनस्थ न्यायालय ने हिस्सा ही नहीं खोला । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2016(1) पेज 87 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53, 88 का दावा किया था, अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा जमाबंदी के अनुसार किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत अभियान दिनांक 21.06.2017 को निर्णय पारित किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर दिनांक 21.06.2017 में अपीलांट एवं वादिनी व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 की उपस्थिति बतायी गई है । पत्रावली में दिनांक 21.06.2017 को राजस्व लोक अदालत बाबत कोई भी नोटिस पत्रावली पर सलंग्न नहीं है । फिर भी वादिनी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 अपीलांट स्वयं व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 जो वाद में उपस्थित है तथा एक पक्षकार धापू बाई जो अपील में रेस्पोडेंट नम्बर 2 और वाद में प्रतिवादी नम्बर 2 की अनुपस्थिति दर्ज है अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 रेस्पोडेंट संख्या 2 को केम्प की कोई सूचना नहीं थी । लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है जिसमें समस्त पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक कराया जाता है लेकिन प्रकरण में समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में नये सिरे से पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा